न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 189/2022 — अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दरियाकंवर पत्नी मेताबसिंह 2. पदमसिंह पुत्र मेताबसिंह 3. समंदकंवर पत्नी राजूसिंह 4. हीरसिंह गोद पुत्र राजूसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बक्सखान पुत्र उनड़खान जाति मुसलमान, निवासी मतुजा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. मुकनाराम पुत्र नैनाराम जाति मेगवाल, निवासी चौहटन तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव 4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: संशोधित आदेश ::–

दिनांक : 28.07.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 298/113 रकबा 35.4018 हैक्टेयर मौजा मतुजा, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी बनी हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 279/110, 284/110 रकबा क्रमशः 8.0937, 3.7231 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि के नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है किन्तु कुछ माह पूर्व विप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता देने से मना करने पर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं यथा आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम दूरी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य से नहीं होना पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ता कटाण में जाने वाली भूमि क्षेत्र की प्रतिफल राशि जमा करवाने बाबत् वचनबद्ध है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ईकबाली जवाब पेश कर बिना प्रतिफल राशि लिये प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में से आवागमन हेतु रास्ता देने में अपनी सहमति प्रदान करने पर पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कटाण बाबत् आदेश पारित किया गया, किन्तु उक्त आदेश में खसरा नम्बर 284/110 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु मात्र 0.0161 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की जानी थी, किन्तु त्रूटिवंश मौका रिपोर्ट में उसके स्थान पर 0.1618 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित कर दी गई। उक्त त्रूटि व भूल सुधार हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 151, 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर संशोधित आदेश पारित करने का निवेदन किये जाने पर प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई, जो दिनांक 26.07.2023 को प्राप्त हुई। उक्त तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित सभी पक्षकारों को नया रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार मार्ग प्रस्तावित है, जिसे पर सभी उपस्थित पक्षकारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से पुनः दिनांक 26.07.2023 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा एवं दर्ज रकबा अनुसार रास्ता कटाण का संशोधित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार बिना प्रतिफल राशि लिए रास्ता कटाण बाबत् पुनः सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पूर्व में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा त्रूटिपूर्ण दर्ज होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा धारा 151, 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार शिव से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर आदेश पारित किये जाने के निवेदन पर तहसीलदार शिव से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त दिनांक 26.07.2023 को पुनः मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते को विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार करते हुए बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करवाने बाबत् अपनी सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 279/110 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से 0.1942 हैक्टेयर भूमि एवं विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 284/110 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.0161 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होगा। चूंकि पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट में विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 284/110 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.1618 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु जा रही थी। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु सबसे निकटतम रास्ता है, जिसमें प्रभावित खातेदारान् की सेढे की भूमि रास्ते हेतु जा रही है तथा उभयपक्ष पक्षकारान् उक्त रास्ता कटाण हेतु सहमत है। अतः ऐसी स्थिति में पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थीगण का आवेदन पुनः स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश को निरस्त किया जाकर एवं प्रार्थीगण का आवेदन पुनः स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 298/113 रकबा 35.4018 हैक्टेयर मौजा मतुजा, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 279/110 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से 0.1942 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 284/110 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.0161 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में से तहसीलदार शिव को मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रभावित रकबे में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहमति अनुसार बिना प्रतिफल के प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

संशोधित आदेश आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner